न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 62/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/113)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. मेजर सिंह पुत्र हरसा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरसिमरन कौर पुत्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. गगनदीप कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. भरपूर कौर पत्नी जगमोहन सिंह जाति जटसिख निवासी कुन्ज बिहार फर्स्ट ए-18 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	1. बादल सिंह पुत्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरमीत कौर पत्नी बादल सिंह पुत्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 19.04.2023

उपस्थित:1.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता वादीगण

---निर्णय---

दिनांकः 13.02.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि.क्षेत्र की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/56 में मुरब्बा नम्बर 46, 51, 56/18 की कुल 6.323 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि व इसी चक के खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 52 की 6.323 हैक्टेयर नहरी भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों की भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है। काश्तकारों ने काश्त की सहूलियत से मौखिक बंटवारा किया हुआ है। प्रत्येक खातेदार का अपने-अपने हिस्सा अनुसार अपनी-अपनी भूमि पर बंटवारानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। घरू बटवारानामा अनुसार वादी संख्या 1 ता 3 को चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/56 में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 16 ता 19 सालम-सालम, किला नम्बर 20 के 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 के 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 ता 24 सालम-सालम, किला नम्बर 25 के 0.252 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 के 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 के 0.127 हैक्टेयर, एंव मुरब्बा नम्बर 56/18 के 0.076 हैक्टेयर कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 के 5 बिस्वा, किला नम्बर 10, 11, 19, 20, 21, 22 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 4 भरपूर कौर को घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है। इसके अलावा मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 के 5 बिस्वा, किला नम्बर 9, 12, 13, 18, 23, 24 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 2 गगनदीप कौर एंव वादी संख्या 3 हरसिमरन कौर को प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पर वादीगण का काफी समय से शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से काश्तकार की हैसियत से काबिज ... चला आ रहा है, लेकिन उक्त सम्पति संयुक्त खाता में होने के कारण वादी को ... का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा ... काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, केन्द्र/राज्य सरकार से कृषि भूमि ... होने वाली अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता इत्यादि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। चूंकि वर्तमान में वादी का परिवार काफी बढ़ चुका है। भविष्य में वादी के बच्चो को उक्त कृषि भूमि के संबंध में किसी प्रकार से वाद विवाद न हो और वह शांतिपूर्वक भूमि का उपयोग कर सकें। इस कारण वादी अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:17:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

सहखातेदारान से किलावाईज विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को अलग से किलावाईज विभाजन करवाना चाहता है तथा वादी के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा है कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण संयुक्त खाता में भूमि होने व अन्य पारिवारिक असमर्थता का हवाला देकर टाल-मटोल कर रहे है। आज से 10 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण को संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत जोत विभाजन करवाकर, पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार काबिज किलाजात अपने अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इंकार हो गये है। उसी रोज वादी को वादहेतुक उत्पन्न हुआ। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर घरू बटवारानामा अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर, वादीगण के हिस्सा में आई भूमि का अलग से खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर जवाब बन्द किया जाता है। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावें।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/56 में मुरब्बा नम्बर 46, 51, 56/18 व खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 52 में कुल रकबा 12.646 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि में वादी संख्या 1 मेजर सिंह के हिस्सा में 0.948 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 हरसिमरन कौर के हिस्सा में 0.252 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 गगनदीप कौर के हिस्सा में 3.543 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 4 भरपूर कौर के हिस्सा में 1.581 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण ने प्राथमिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मेजर सिंह आदि बनाम बादल सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 91 आरटीए,
प्रकरण संख्या 62/2023

-:आदेश:-

5.अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 56/56 में मुरब्बा नम्बर 46, 51, 56/18 व खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 52 में कुल रकबा 12.646 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि में वादी संख्या 1 मेजर सिंह के हिस्सा में 0.948 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 हरसिमरन कौर के हिस्सा में 0.252 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 गगनदीप कौर के हिस्सा में 3.543 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 4 भरपूर कौर के हिस्सा में 1.581 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मेजर सिंह पुत्र हरसा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर (0.948है.)	31 एफ	46	16 ता 19	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.20
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				21	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.61
	हरसिमरन कौर पुत्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर(0.252है.)			22 ता 24	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.40
				25	0.252 हैक्टेयर	नहरी	1.79
			51	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
	गगनदीप कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्रीकरणपुर(3.543है.)			2	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				3	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.90
			56/18		0.076 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			52	1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.45
				8,9	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.60
				12,13	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.60
				18,23	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.60
2	भरपूर कौर पत्नी जगमोहन सिंह जाति जटसिख निवासी कुन्ज बिहार फर्स्ट ए-18 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर(1.581है.)	31 एफ	52	1	0.064 हैक्टेयर	नहरी	0.46
				10	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				11	0.252 हैक्टेयर	नहरी	1.79
				19,20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.60
				21,22	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.60

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को [illegible] ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते